राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग

- धारा 90 क कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग –
- कृषि प्रयोजन के हेतु कृषि भूमि को धारण करने वाला व्यक्ति औरकोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी भूमि या भूमि का भाग हस्तान्तरित किया गयास हो उस भूमि का या उसके किसी भाग को उस पर भवन निर्माण हेतु अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए काम में नहीं लायेगा सिवाय जबकि वह राज्य सरकार से इसके पश्चात बताये गये तरीके के अनुसार लिखित अनुमति प्राप्त कर लें और ऐसी अनुमति की शर्तों एवं प्रतिबन्धनों (Terms and Conditions) के विपरीत काम में न लें।

कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग

- (2) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसी भूमि को या उसके किसी भाग को कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए काम में लाने का इच्छुक हो तो वह वांछित अनुमति के लिए विहित तरीके से और विहित अधिकारी का प्राधिकारी को आवेदन पत्र देगा और ऐसे आवेदन पत्र में विहित विवरण (Particular) होंगे।
- (3) राज्य सरकार विहित ढंग से समुचित जांच करने या करवाने के पश्चात या तो आवेदित अनुमति देना अस्वीकार कर देगी अथवा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धनों के अधीन अनुमति प्रदान कर देगी।

कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग

- (4) जब कभी ऐसी भूमि या उसके किसी भाग के कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग की अनुमति दे दी जावे तो जिस व्यक्ति को ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो उसे राज्य सरकार को उस भूमि के लिए
- (क) राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों में दिये गये तरीके के अनुसार ऐसी दर पर लागू किया गया नगर सुधार कर (Urban Assesment), या
- (ख) राज्य सरकार द्वारा विहित प्रीमियम के रूप में रकम, या
- (ग) दोनों,
- देय होंगे।

कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग

- (5) यदि ऐसी कोई भूमि
- (क) राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, या
- (ख) ऐसी अनुमति की शर्तों तथा प्रतिबन्धों का पालन न करते हुए अन्यथा तथा
- (ग) उप धारा (3) के अन्तर्गत ऐसी अनुमति अस्वीकार किये जाने के पश्चात, या
- (घ) उपधारा (4) में उल्लेखित अदायगियों में से किसी का भी भुगतान किये बिना–

कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग

- उक्त रूपेण काम में लाई जाए तो उस भूमि को पहले पहल कृषि प्रयोजनों के लिए धारण करने वाला व्यक्ति तथा बाद के समस्त अन्तरितिगण (Transferees) यदि कोई हों, अतिचारी (Trespasser) या यथा स्थिति, अतिचारीगण समझे जायेंगे और धारा 91 के अनुसार उसे या उन्हें इस प्रकार बेदखल किया जा सकेगा मानो उसने या उन्होंने बिना विधिसंगत अधिकार के उस भूमि पर अधिवास कर लिया (Occupied) या अधिवास जारी रखा और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 (राजस्थान अधिनियम संख्या 3 सन् 1955) की धारा 212 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह भूमि नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा अन्य संक्रमण (Alienate) किये जाने के खतरे में थी।

कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग

- किन्तु राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति तथा अनुवर्ती अन्तरितियों (Subsequent Transferees) को सम्बन्धित भूमि से उपर्युक्त प्रकार से बेदखल करने के स्थान पर उसके या यथा स्थिति राज्य सरकार को उपधारा (4) के अधीन देय नगर सुधार कर तथा तथा प्रीमियम अदा करने के अतिरिक्त शास्ति (Penalty) के रूप में ऐसा जुर्माना, जो विहित किया जाए, देने पर उक्त भूमि को रखने और कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग करने की अनुमति दे सकेगी।

भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण

- 90 ख कतिपय मामलों में भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण–
- (1) इस अधिनियम और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 21) के प्रारम्भ के पूर्व (किसी नगरीय क्षेत्र कीनगर योग्य सीमाओं या उपांत पटटी में योग्य सीमाओं में, जो राज्य सरकार द्वारा राज पत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाये) कृषि प्रयोजन के लिए कोई भी भूमि धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति ने

भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण

- ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग का अकृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या यथास्थिति, उसके भाग के तात्पर्यित अकृषि उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय के करार के रूप में और या मुख्तारनामा और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी भी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से अलग हो गया है वहां उक्त भूमि या जोत या, यथास्थिति,उसके भाग में के ऐसे किसी व्यक्ति के अधिकार और हित पर्यवसित किये जाने के दायी होगें और ऐसी भूमि पुर्नगृहीत किये जाने की दायी होगी।

भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण

- (2) जहां कोई भी भूमि उप धारा (1) के उपबन्धों के अधीन पुनर्ग्रहित किये जाने की दायी हो गयी है वहां कलेक्टर या इस निमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस को तामील करेगा कि उक्त भूमि को संक्षेप्त पुर्नग्रहित क्यों नहीं कर लिया जाये और ऐसे नोटिस में, अन्य बातों के साथ साथ, भूमि की विशिष्टयां, प्रस्तावित कार्यवाही का कारण,वह स्थान, समय और तारीख, जहां और जब मामले की सुनवाई की जावेगी, अन्तर्विष्ट हो सकेगी।

भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण

- (3) जब ऐसी भूमि का काश्तकार या धारक या, यथास्थिति, उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति ऐसी भूमि को (आवासन, वाणिज्यिक,संस्थागत, अर्द्ध वाणिज्यिक, औद्योगिक,सिनेमा या पेट्रोल पम्प के प्रयोजनों के लिए या मल्टिप्लेक्स इकाइयों अवसंरचना (Infrastructure) परियोजनाओं के लिए) जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किय जाये विकसित करने के आशय से, ऐसी भूमि में के अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने के लिए अपनी रजामन्दी अभिव्यक्त करते हुए कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करता है तो कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की रजामन्दी के बारे में समाधान होने पर,उक्त भूमि में के ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित में पर्यवसन के लिए और ऐसी भूमि के पुर्नग्रहण के लिए आदेश देगा।

भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण

- (4)मामले की कार्यवाहियां संक्षेप्त : संचालित की जायेगी और साधारणतया उप धारा (2) के अधीन तामील किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट सुनवाई की प्रथम तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर भीतर समाप्त की जायेगी।

- (5) जहां पक्षकारों को सुनने के पश्चात कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की यह राय हो कि भूमि उप धारा (1) के अधीन पुर्नग्रहित की जाने की दायी है वहां वह कारणों को अभिलिखत करने के पश्चात उक्त भूमि में के ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान के लिए और उक्त भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए आदेश देगा।

भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण

- (6) उप धारा (3) और (5) के अधीन इस प्रकार पुनर्ग्रहित भूमि समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त रूप में राज्य में निहित होगी और ऐसा आदेश पारित होने की तारीख से इस अधिनियम की धारा 102–क के अधीन सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के अधीन रखी गयी समझी जायेगी :
- परन्तु उक्त धारा (3) के अधीन अभ्यर्पित भूमि ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेगी जो भूमि को, (आवासन, वाणिज्यिक,संस्थागत, अर्द्ध वाणिज्यिक, औद्योगिक,सिनेमा या पेट्रोल पम्प के प्रयोजनों के लिए या मल्टिप्लेक्स इकाइयों अवसंरचना (Infrastructure) परियोजनाओं के लिए) या अन्य सामुदायिक सुविधाओं के या लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए सम्बन्धित स्थानीय निकाय पर लागू नियमों, विनियमों और उप विधियों के अनुसार उसका सुनियोजित विकास करने के लिए अभ्यर्पित करता है।

भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण

- (7) उपधारा (5) के अधीन किये गये आदेश से व्यथित व्यक्ति उप धारा (5) के अधीन आदेश पारित होने के तीस दिन के भीतर भीतर खण्ड आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा।
- (8) खण्ड आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनने के पश्चात उसके समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर भीतर ऐसी अपील में समुचित आदेश पारित करेगा।
- (9) खण्ड आयुक्त या इस इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन अपील में पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा।

भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण

- (10) किसी भी सिविल न्यायालय को, कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप धारा (5) के अधीन किये गये आदेश को या खण्ड आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप धारा (8) के अधीन किये गये किसी आदेश को प्रश्नगत करने वाले किसी भी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी।
- (11) इस धारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी भी लोक न्यास या किसी भी धार्मिक या पूर्त संस्था या किसी वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी :

भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण

- परन्तु जहां राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी लोक न्यास या कोई भी रजिस्ट्रीकृत पूर्व संस्था अपनी भूमि या जोत या उसके भाग और उससे प्राप्त प्रत्यागमों/आगमों का उपयोग अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए करने का आशय रखती हो, वह ऐसी भूमि या जोत या उसके भाग में के अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने के लिए उप धारा (3) के अधीन कोई आवेदन सकेगी और उस दशा में इस धारा के उपबन्ध इस उपांतरण के साथ लागू होगें कि ऐसे प्रयोजन उप धारा (3) के और उप धारा (6) के परन्तुक के लिए उपबंधित किये हुए समझे जायेगें।

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा
- (1) कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास (Occupation) कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिचारी समझा जायेगा और वह वहां के तहसीलदार द्वारा उसकी इच्छा से या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पत्र पर जिसके पास (at disposal) ऐसी भूमि रखी गई है,तुरन्त बेदखल किया जा सकता है और उस भूमि पर (खडी किसी भी फसल या) भवन (Building) या अन्य निर्माण को या उस पर एकत्रित की गई किसी भी वस्तु को यदि उसे तहसीलदार द्वारा समय पर इस प्रयोजनार्थ निर्धारित युक्तियुक्त (Reasonable) समय में नहीं हटा लिया जावे तो राज्य सरकार द्वार जब्त किया और ऐसी किसी फसल की स्थिति में ऐसी रीति से जैसा वह उचित समझे या अन्य स्थितियों में जैसा कलेक्टर आदेश दे उसका व्ययन (disposed) कर दिया जायेगा :

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- (2) ऐसा अतिचारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए जिसमें वह पूरे साल या उसके कुछ भाग में पूरी भूमि या उसके किसी भाग पर अवैधानिक कब्जे में रहा हो,अतिक्रमण के प्रथम कार्य के लिए वार्षिक किराये या लगान के 50 गुणे तक शास्ति का, जैसी भी स्थिति हो, के दायित्वाधीन होगा। तत्पश्चात ऐसे प्रत्येक अतिक्रमण के कार्य के लिए वह तहसीलदार के आदेश से 3 माह तक के लिए सिविल जेल का और उपर्युक्त सीमा तक शास्ति का उत्तरदायी होगा। ऐसी शास्ति की राशि भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी।

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- (3) जहां कोई अतिचारी जिसे उप धारा (2) के अन्तर्गत सिविल जेल भेजने की आज्ञा दी गई है, सिविल जेल की आज्ञा जारी करने वाले तहसीदार का समाधान कर दे कि वह अपील करना चाहता है तो तहसीलदार ऐसी अतिचारी को उतनी अवधि के लिए जितनी वह अपील प्रस्तुत करने के लिए और अपील न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समझे, अपने मुचलके (Bond) पर छोड़ने की आज्ञा दे देगा और इस प्रकार मुचलके पर छूटे रहने की अवधि तक उक्त आज्ञा निलम्बित समझी जाएगी।

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- (3क) उप धारा (2) के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व उस व्यक्ति पर, जिसके विषय में रिपोर्ट है कि उसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास कर लिया है अथवा वह ऐसा अधिवास जारी रख रहा है,एक नोटिस, जिसमें भूमि को विनिर्दिष्ट करते हुए उसे या तो किसी निर्धारित तारीख तक भूमि खाली करने के लिए या अपील करने और कारण बताने के लिए कि उसे भूमि से बेदखल क्यों नहीं कर दिया जाए, कहा गया हो, विहित रीति से तामील करावेगा।

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- (4) निम्नलिखित में से किसी स्थिति में अर्थात–
- (1) जहां पर अतिचारी न तो भूमि खाली करता है और न उपधारा (3) के अधीन जारी किये गये नोटिस के उत्तर में उपस्थित होता है, अथवा
- (2) ऐसे नोटिस के उत्तर में जहां अतिचारी भूमि को खाली नहीं करे और उपस्थित हो जाए, परन्तु
- (क) ऐसा कोई कारण नहीं बताए, अथवा
- (ख) कोई अभ्यावेदन (Representation) प्रस्तुत कर दे जो कि ऐसी जांच अथवा सुनवाई के पश्चात जैसा कि मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो,रदद कर दिया जाए

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- तो खण्ड (2) के अधीन आने वाले मामलों में जब तक कि अतिक्रमणकारी (Trespasser) भूमि को एक सप्ताह के समय में खाली करने का आश्वासन नहीं दे और इतने समय में खाली नहीं कर दे, तहसीलदार ऐसी भूमि से अतिचारी को हटाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त (Depute) करेगा और उसका कब्जा ले लेगा और यदि तहसीलदार अथवा इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये व्यक्ति का ऐसी भूमि पर कब्जा करने में विरोध किया जाए या बाधा डाली जाए तो तहसीलदार उसपर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट तहसीलदार को भूमि सौंपा जाना बाधित (Enforce) करेगा।

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- (5) पूर्वागामी उपधारों में कुछ भी होते हुए भी तहसीलदार उस स्थिति में जब ऐसी कोई भूमि धारा 97 की उपधारा के परन्तुक के खण्ड (2) में वर्णित श्रेणी की हो, उपखण्ड अधिकारी के अनुमोदन से भूमि को उस अतिचारी को उसके द्वारा अवैध अधिवास की पूरी अवधि के लिए धारा (2) के अन्तर्गत वसूलीय कर (asseeement) और शास्ति के अतिरिक्त धारा 96 के अन्तर्गत और उस पर लागू दर पर प्रीमियम की अदायगी कर देने पर, बेच सकेगा।

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- (6) उप धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी–
- (क) जो कोई भी किसी भूमि का विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अपने अधिभोग में लेता है या यदि राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत होने के पूर्व उसने ऐसी भूमि को अधिभोग में लिया है तो, तहसीलदार के, उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस नोटिस की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर भीतर ऐसा अधिभोग हटाने में विफल रहता है,दोषसिद्वि पर, ऐसे सादा **कारावास से**, जो एक मास से कम का नहीं होगा, किन्तु **जो तीन वर्ष तक** का हो सकेगा और ऐसे **जुर्माने से, जो बीस हजार रूपये तक** का हो सकेगा,दण्डित किया जाएगा और

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- (ख) जो कोई भी, कलेक्टर के किसी लिखित आदेश से इस उपधारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करना बन्द करने या रोकने के कर्त्तव्य से विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त राज्य सरकार का कर्मचारी ऐसे अपराध को करना बन्द करने या रोकने में जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है,दोषसिद्वि पर, ऐसी अवधि के सादा कारावास से जो एकमास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जावेगा–

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

- परन्तु खण्ड (क) के अधीन के मामले में, न्यायालय ऐसे किसी पर्याप्त या विशेष कारण से, जिसे निर्णय में एक मास से कम की अवधि उल्लिखित किया जाएगा, के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा:
- परन्तु यह भी कि इस उपधारा के खण्ड (क) के अधीनकिसी अपराध का अन्वेषण उप अधीक्षक, पुलिस की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जावेगा:
- परन्तु यह भी कि इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन के किसी अपराध का संज्ञान कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं करेगा।

धारा 111 सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा

- धारा 111 सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा
- (1) किन्हीं सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लैंड रेकार्डस आफिसर, जहां तक सम्भव हो, वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटाएगा और यह सम्भव न हो अथवा ऐसे नक्शे उपलब्ध न हों तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा।
- (2) यदि इस धारा के अधीन किसी झगड़े की जांच के दौरान लैंड रिकार्डस आफिसर अपने आपका समाधान नहीं सके कि किस पक्ष का कब्जा है अथवा यदि यह बतलाया जाय कि जांच के प्रारम्भ होने से पूर्व के तीन मास के भीतर विधि संगत अधिवासियों को विधि संगत (नदसूंनिस) रूप से बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया तो लैंड रिकार्डस आफिसर सरसरी जांच द्वारा निश्चय करेगा कि कौन कब्जा पाने का सर्वोत्तम अधिकारी है और तदनुसार सीमा स्थिर करेगा।

धारा 128. सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा

- धारा 128 सीमा विवाद
- सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद भू अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित नीति से तय किये जायेगें :
- परन्तु खेतों के सीमा सम्बन्धी आवेदन पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसे विवाद उठने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें।

अधिकार अभिलेख का संधारण

- धारा 132 वार्षिक रजिस्टर
- (1) भू अभिलेख अधिकारी अधिकार अभिलेख का संधारण करेगा तथा उस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर, जो राज्य सरकार विहित करे, धारा 114 और 120 में वर्णित (गिनाये गये) (enumerated) रजिस्टरों का एक सेट (set) या संशोधित सेट, जैसी भी स्थिति हो, तैयार करवायेगा और इस प्रकार तैयार किए गए रजिस्टर वार्षिक रजिस्टर कहलायेगें।
- (2) भू अभिलेख अधिकारी वार्षिक रजिस्टरों में निर्धारित रीति से उन परिवर्तनों को, जो हो जाएं तथा किसी भी व्यवहार (Transaction) को जो किन्हीं अभिलिखित (दर्जशुदा) अधिकारों या हितों को प्रभावित कर सकें, दर्ज करायेगा।

अधिकार अभिलेख का संधारण

- धारा 135 सूचना मिलने पर प्रक्रिया
- (1) ऐसी सूचना प्राप्तहोने पर या अन्यथा ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और निर्विवाद मामलों में यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या अन्तरण (Transfer) या अन्य अवाप्ति (Acquisition) हो चुकी है,तो वह उसे वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित करेगा।
- (2) यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद कानिर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा।

अधिकार अभिलेख का संधारण

- धारा 136 गलतियों का शुद्विकरण
- भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्व कर सकेगा या उन्हें शुद्व करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर लिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अपील अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।
- परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्व नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

धन्यवाद